

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के संलग्नक ग्रुप-एफ के अनुरूप आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2015-16 दिनांक 23.06.2016 द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) संस्कृत वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध हुई विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू) की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिक को पे-बेण्ड 9300-34800 पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रसं	वरि. क्र.	वरि0 अवधि	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान
1	3119	2005-06	एस टी	श्री शैतानमल मीणा, व0अ0	15.07.76	कार्यालय बीईईओ एसएसए, आमेर, जयपुर	राउमावि चौप, आमेर, जयपुर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्तपति से दो से अधिक संतान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बंधित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक, वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक होगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरन्त सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 21/9/16 तक कार्यग्रहण करना होगा। अन्यथा पदोन्नति का परित्याग माना जावेगा।

  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक 28/8/16

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/डीपीसी/रिव्यू/2015-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

11. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (क-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
14. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
15. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II), जयपुर
16. प्रधानाचार्य, राउमावि चौप, जयपुर
17. बी.ई.ई.ओ. एस.एस.ए. आमेर, जयपुर
18. श्री शैतानमल मीणा, व0अ0 कार्यालय बीईईओ एसएसए, आमेर, जयपुर
19. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच कार्यालय हाजा
20. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के संलग्नक ग्रुप-एफ के अनुरूप आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/संस्कृत(पु.)/2013-14 दिनांक 23.06.2016 द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) संस्कृत वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध हुई विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिक को पे-बेण्ड 9300-34800 पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रसं	वरि. क्र.	वरि0 अवधि	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान
1	2237	1997-98	एस सी	श्री रोशन लाल पहाड़िया, व.अ.	01.01.68	राउमावि भुसावर, भरतपुर	राउमावि आमोली (वैर), भरतपुर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बंधित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक,वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक होगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरन्त सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 21/8/16 तक कार्यग्रहण करना होगा। अन्यथा पदोन्नति का परित्याग माना जावेगा।




निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक : 21/8/16

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/डीपीसी/2013-14  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

10. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (क-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
13. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II), भरतपुर
15. प्रधानाचार्य, राउमावि भुसावर, भरतपुर/राउमावि आमोली (वैर), भरतपुर
16. श्री रोशन लाल पहाड़िया, व.अ. राउमावि भुसावर, भरतपुर
17. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच कार्यालय हाजा
18. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर